

क्रमांक एफ 1(7)(12)डीपीसी/सान्याअवि /2018/6613


जयपुर, दिनांक 26-08-2019

--: आदेश :-

राजस्थान समाज कल्याण राज्य सेवा नियम 1963 एवं एफ1(10)कार्मिक/ए-II/89/ दिनांक 28.09.1998 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 14.08.2019 की सिफारिश के द्वारा गुप-“ए-2”(संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष) से गुप-“ए” (अतिरिक्त निदेशक एवं समकक्ष) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2019-20 दिनांक 01.04.2019 की रिक्ति के विरुद्ध निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	पदोन्नति वर्ष मे दिनांक	वि.वि.
1.	श्रीमती रीना शर्मा	Gen	दिनांक 01.04.2019	

पदोन्नत कार्मिको के पदोन्नति पद पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे ।



(सांवर मूल वर्गी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(12)डीपीसी/सान्याअवि /2019/6614-24

जयपुर, दिनांक 26-08-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को बेब साईड, ई-मेल हेतु/सहायक निदेशक (प्रचार) को विज्ञप्ति हेतु/संस्थापन प्रशाखा पी-1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्रीमती रीना शर्मा, संयुक्त निदेशक, द्वारा निदेशालय, बाल अधिकारिता, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर, जयपुर पिन 302020।
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती शर्मा।
8. आदेश पत्रावली ।


(जय नारायण मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)